न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
21 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	29.04.2025	01.05.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषद्यि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी माल मोहल्ला वार्ड नं0 5, देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स महावीर नमकीन भण्डार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 9829674244।

2–मैसर्स महावीर नमकीन भण्डार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 01/5/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.11.2023 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स महावीर नमकीन भण्डार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महावीर नमकीन भण्डार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन आवेदन होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में प्लास्टिक के तीन कट्टों में लगभग 50 किलोग्राम **मावा(खोया)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल को गवाह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

केसामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **मावा(खोया)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में प्लास्टिक के तीन कट्टों में रखे लगभग 50 किलोग्राम **मावा(खोया)** में से कुल 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **मावा(खोया)** को प्लास्टिक की साफ व सूखे डिब्बों में भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर 250–250 ग्राम प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मैलिन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3916 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को खाकी कागज से अच्छी तरह लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3916 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1255 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/4795/एक्ट/2023/4990 दिनांक 06.12.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **मावा(खोया)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे एवं कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा(खोया)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **मावा(खोया)** जांच में **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा(खोया)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हो। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दरअनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोकरिया)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0